12.55 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Will your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 27th February, 1978, will consist of:—

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) General Discussion on the Railway Budget for 1978-79.

(3) Further consideration and passing of the public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and miscellaneous Provisions Bill, 1977, at 6 P.M. on Monday, the 27th February, 1978.

As the House is already aware, the General Budget for 1978-79 will be presented at 5 P.M. on Tuesday, the 28th February, 1978.

12.56 hrs.

STATEMENT *RE*. CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 255 DATED 2ND DECEMBER, 1977 *RE*. FISH CATCH FROM COASTAL AREAS OF TAMIL NADU AND KERALA

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री आरिफ़ बेग की ओर से 2 दिसम्बर, 1977 को तारांकित प्रश्न संख्या 255 भाग (क) के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया था उसके सुधार के सम्बन्ध में वक्तव्य देता हूं।

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 255 का उत्तर 2—12—77 को सभा पटल पर रखा गया था। इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में एक विवरण भी सभा पटल पर रखा गया था जिसमें यह बताया गया था कि तमिलनाडु तथा केरल स्थित पत्तनों से झींगा मछली के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह पता चला है कि लिखाई की भूल होने से तमिलनाडु स्थित पत्तनों से झींगा मछली के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में दिये गये आंकड़ों में मामूली सी अशुद्धि रह गई : सही आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	तमिलनाडु स्थित पत्तनों से झींगा मछली के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा
	(करोड़ रु० में)
1975 . .	11.42
1976 . . (अनन्तिम)	20.43

उपरोक्त तारांकित प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिये गये विवरण में दिखाए गए आंकड़ों के स्थान पर कृपया उपरोक्त आंकड़े रखे जायें।

STATEMENT RE. CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 533 DATED 23RD DECEMBER, 1977 RE. VISIT OF CHINESE DELEGATION TO INDIA

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री आरिफ़ बेग की ओर से तारांकित प्रश्न सं० 533 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर जो 23-12-77 को दिया गया था उसके सुधार के सम्बन्ध में वक्तव्य देता हूं।

23 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 533 के अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया था, उसमें अन्य बातों के साथ साथ वस्तुत: यह बताया गया था कि राज्य व्यापार निगम, भारतीय इंजीनियरी उद्योग एसोसियेशन और मूल रसायन भेषज एवं प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद् ने 42वें केन्टन मेले में भाग लिया। इन संगठनों ने 41वें कैंटन मेले में भाग लिया था। सरकारी क्षेत्र के जिन भारतीय संगठनों ने 42वें कैंटन मेले में भाग लिया था वे हैं राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (अन्तर्राष्ट्रीय) और सेल अन्तर्राष्ट्रीय।

उसी संदर्भ में यह भी बताया गया था कि निम्नलिखित चीनी निगमों को भारत आने के लिये आमंत्रित किया गया था:

(1) चीन राष्ट्रीय हल्के औद्योगिक उत्पाद व निर्यात निगम

(2) चीन राष्ट्रीय धातु व खनिज आयात व निर्यात निगम

(3 चीन राष्ट्रीय मशीनरी आयात व निर्यात निगम

(4) चीन राष्ट्रीय रसायन आयात व निर्यात निगम

(5) चीन राष्ट्रीय तकनीकी आयात निगम, और

(6) चीन राष्ट्रीय अनाज, तेल व खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन निगम।

वस्तुत: इन निगमों में से केवल पहले पांच निगमों को ही आमंत्रित किया गया है।

12.58 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

RUBBER BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): Sir, on behalf of Shri Arif Baig, I beg to move the following:

"That in pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act."

MR. SPEAKER: The question is:

"That is pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act.

The motion was adopted.

12.59 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED DISMISSAL OF WORKERS IN BANMAUR CEMENT FACTORY IN MORENA DISTRICT

श्री छविराम अर्गल (मुरैना): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में स्थित वानमौर ए०सी०सी० सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे 100 मजदूरों को इंटक यूनियन के इशारे पर प्रबन्धकों ने बिना कारण बताये सेवा से पृथक कर दिया गया है। इस कारण 100 परिवारों की भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है। इन निकाले गये मजदूरों के स्थान पर अन्य मजदूरों को सेवा में ले लिया गया है।